बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 26.6.15

संख्या–7/स्था01–1–1/2012सा0प्र0 9308 /भारत–संविधान के अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के परामर्श के पश्चात्, बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।–** (1)यह नियमावली बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2015 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **उक्त नियमावली, 1955 के परिशिष्ट 'ग' में संशोधन।–**

(1) उक्त नियमावली, 1955 के परिशिष्ट 'ग' के क्रमांक 2(5) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"(5) भारत की सांविधानिक एवं प्रशासनिक विधि (Constitutional and Administrative Law of India) .....150"

(2) उक्त नियमावली, 1955 के परिशिष्ट 'ग' की परीक्षा की पाठ्य सूची के अधीन "क्रमांक–5 में उल्लिखित विषय "मध्यस्थता अधिनियम, 1940" तथा "दंड प्रक्रिया संहिता (संख्या–5, 1898)" विषय "मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and concilliation Act, 1996)" तथा "दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (संख्या–2, 1974) [Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)]" द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किए जाएंगे।"

(3) उक्त नियमावली, 1955 के परिशिष्ट 'ग' की परीक्षा की पाठ्य सूची का क्रमांक 6 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"6 भारत की सांविधानिक एवं प्रशासनिक विधि (Constitutional and Administrative Law of India):–

(क) भारत का संविधान अनुच्छेद 1 से 395 एवं अनुसूचियाँ (Constitution of India - Article 1 to 395 and Schedules)

(ख) भारत की प्रशासनिक विधि (Administrative Law of India): निम्नलिखित अध्याय:–

(i) प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation);

(ii) प्रत्यायोजित विधान का नियंत्रण: न्यायिक एवं विधायी (Control of delegated legislation- Judicial & Legislative);

(iii) निष्पक्ष सुनवायी: नैसर्गिक न्याय का नियम: पक्षपात के विरूद्ध नियम: 'ऑडी आल्टेरम पारटेम' (Fair Hearing: Rules of Natural Justice: Rule Against Bias: Audi Alteram Partem);

(iv) न्यायाधिकरण एवं अर्द्धन्यायिक प्राधिकरण; उनपर न्यायिक नियंत्रण (Tribunals and Quasi- Judicial Authorities: Judicial Control over them);

(v) विनियामक प्राधिकरण (Regulatory Authorities);

(vi) प्रशासनिक कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review of Administrative Action);

(vii) रिट क्षेत्राधिकार एवं सांविधिक न्यायिक उपचार: क्षेत्र, विस्तार एवं अंतर (Writ Jurisdiction and Statutory Judicial Remedies: Scope, Extent & Distinction);